विधानसभा आम चुनाव–2024

प्रेषक

रिटर्निंग अधिकारी,
70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (ना0), नारनौल।

प्रेषित

राव नरेन्द्र सिंह, कॉग्रेस प्रत्याशी,
70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

क्रमांक निर्वाचन–2024/2464 दिनांक : 28-10-2024

विषय : **Complaint regarding slowing of backup of EVMs for kind consideration of complaint filed by the Candidate Rao Narender Singh and for holding the final result.**

उपरोक्त विषय बारे एक शिकायत आपके द्वारा हरियाणा प्रदेश कॉग्रेस कमेटी सन्दर्भ क्रमांक एचपीसीसी–2024 दिनांक 08.10.2024 द्वारा माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग को की गई है। उक्त शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चण्डीगढ के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। उक्त शिकायत में आप द्वारा जो आरोप लगाये गये है, वह निम्नलिखित प्रकार से हैं:

- Slowing of backup of EVMs
- Objection regarding Battery Percentage

आपकी शिकायत बारे स्पष्ट किया जाता है कि आपके द्वारा पहले भी दिनांक 08.10.2024 को मतगणना के दौरान बैटरी प्रशैन्टेज को लेकर निम्नहस्ताक्षरी को शिकायत की गई थी, जिसका निवारण चुनाव परिणाम की घोषणा से पूर्व इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/2425 दिनांक 08.10.2024 द्वारा उसी समय कर दिया गया था और उसकी एक प्रति आपको उपलब्ध करवा दी गई थी। उक्त पत्र की प्रति पावति सहित **Annexure-1** पर सलंग्न है। अब यह शिकायत दोबारा से भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसका विस्तृत जवाब निम्न प्रकार से है :

आम चुनाव से बहुत पहले चुनाव सम्बन्धित प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले ईवीएम की एफएलसी (First Level Checking) की जाती है। इस प्रकार निम्नहस्ताक्षरी चुनाव समाप्त होने तक लगातार कार्यरत रहते हैं। यह कहना गलत नही होगा कि एक रिटर्निंग अधिकारी आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार तथा चुनाव के सम्बन्ध में बनाये गए मानको के अनुसार लगातार कार्य करते रहते हैं। इसके अनुसार रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव की सभी

प्रक्रियाओं के दौरान उपस्थित रहना होता है, जिससे चुनाव सम्बन्धित प्रक्रिया दुरूस्त होती है। निम्नहस्ताक्षरी ने रिटर्निंग अधिकारी की हैसियत से चुनाव सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं को अपनी पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण किया है।

आयोग द्वारा अपने विभिन्न दिशानिर्देशों में दिए गए प्रशासनिक संरक्षोपायों के साथ प्रौद्योगिकीय सुरक्षात्मक विशेषताएं, ईवीएम को, कोई भी गुंजाइश न छोड़ते हुए पूरी तरह से हेर–फेर से मुक्त बनाती हैं। आयोग ने चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद तक ईवीएम की हैंडलिंग के प्रत्येक पहलू के लिए चेक लिस्ट तैयार की है, जिसमें निर्माता कम्पनी से मशीनों के परिवहन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का भंडारण शामिल है। इसके अलावा, चुनाव के विभिन्न चरणों में किसी भी सम्भावना के निराकरण करने के लिए क्या करें और क्या न करें भी निर्देशित किए गए हैं।

चुनाव आयोग ने ईवीएम को हैंडल करने के लिए सुरक्षात्मक उपायों और प्रक्रियात्मक नियंत्रण एवं संतुलन की एक विस्तृत एवं सख्त प्रशासनिक व्यवस्था लागू की है, जिसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के संभव दुरुपयोग या किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच या किसी भी अनभिप्रेत प्रक्रियात्मक चूक को रोकना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मतदान से पहले, मतदान के दौरान या मतदान के बाद या भंडारण/परिवहन के दौरान किसी भी तरह की हेर–फेर/जोड़–तोड़ से सुरक्षित रखा जाता है। आयोग द्वारा ये सुरक्षोपाय प्रत्येक चरण पर राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की सक्रिय और अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत सहभागिता के साथ पारदर्शी ढंग से लागू किए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की क्षमता और विश्वसनीयता के प्रति उनका विश्वास कायम किया जा सके। ये सभी प्रकार्य और प्रक्रियाएं आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारियों या वरिष्ठ जिला अधिकारियों के स्तर पर क्रियान्वित किए जाते हैं, जिसके बारे में आप भली–भांति अवगत हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के एजेंटों की भागीदारी की प्रणाली इतनी सशक्त है कि ईवीएम मशीनों में कोई भी बदलाव या एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका स्थानांतरण राजनीतिक प्रतिनिधियों की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इस प्रक्रिया के प्रमुख बिंदु दोबारा आपकी जानकारी के लिए नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

1. **एफएलसी (First Level Checking) :**

क. पत्र सं. 51/8/16/9/2017–ईएमएस (पीएंडएल) दिनांक 09.11.2017 जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैनुअल (अगस्त, 2023) में आगे और अपडेट किया गया है, में समाविष्ट आयोग के अनुदेशों के अनुसार, राज्य में प्रत्येक चुनाव से कम से कम 180 दिन पहले ईवीएम के दोनों भागों और वीवीपैट की गहन प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की जाती है। एफएलसी का उद्देश्य चुनावों में प्रयुक्त की जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट की प्रामाणिकता और उपयुक्तता सुनिश्चित

करना है। प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के पर्यवेक्षण में पूरी तरह से मोर्चाबंद और निरापद क्षेत्र में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विनिर्माण कंपनी के इंजीनियरों द्वारा की जाती है। डीईओ द्वारा एफएलसी का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाता है और उसे कार्यक्रम के शुरू होने से कम से कम 2 दिन पहले जिला स्तर पर प्रत्येक मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल के साथ उपयुक्त पावती के अधीन लिखित रूप में साझा किया जाता है और उसकी प्रति दल के राज्य मुख्यालयों को पृष्ठांकित की जाती है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से एफएलसी के दौरान उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाता है। यदि वे एफएलसी में भाग लेने में असफल रहते हैं, तो उन्हें पावती सहित पुनः अनुस्मारक भेजा जाता है। एफएलसी में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए एक रजिस्टर बनाए रखा जाता है।

- प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) प्रत्येक बीयू, सीयू और वीवीपैट का एक नैदानिक परीक्षण है जो मशीनों की पूर्ण प्रकार्यात्मकता की जांच करने के लिए विनिर्माता द्वारा विहित किया गया है। जांच के उपरांत विनिर्माता इस बात का उचित प्रमाण पत्र देते हैं कि ईवीएम के सभी संघटक औरिजनल हैं।
- एफएलसी बीईएल द्वारा यथा–उपबंधित विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार चौबीसों घंटे पूरी सुरक्षा के साथ सशस्त्र पुलिस बलों की मौजूदगी में एक बड़े हॉल में 24X7 सीसीटीवी कवरेज के साथ की जाती है जहां प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार पर परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उचित रिकार्ड रखने के लिए लॉग बुक रखा रखा जाता है। सम्पूर्ण एफएलसी प्रक्रिया का अनुवीक्षण डीईओ और सीईओ स्तर पर नियंत्रण कक्षों (स्ट्रांग रूम) में वेबकास्टिंग के माध्यम से किया जाता है और उसकी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाती है।
- जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, एफएलसी के प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों को उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। उन्हें स्वेच्छिक रूप से किसी भी मशीन को चुनने और स्वयं मॉक पोल करने की अनुमति दी जाती है।
- एफएलसी के बाद मशीनों को पिंक पेपर सील से सीलबंद किया जाता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पिंक पेपर सील पर हस्ताक्षर करते हैं।

ख. आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के अनुसार उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नारनौल द्वारा हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिये प्रयोग की जाने वाली ईवीएम की एफएलसी के लिये कार्यक्रम उनके कार्यालय के पत्र

क्रमांक निर्वाचन–2024/3676 दिनांक 30.07.2024 **(Annexure-2)** द्वारा जारी किया गया था, जिसकी सूचना जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को दी गई थी। उक्त पत्र के अनुसार सभी राजनैतिक दलों से महेन्द्रगढ जिले में प्रयोग की जाने वाली सभी ईवीएम की एफएलसी के दौरान दिनांक 01.08.2024 से दिनांक 16.08.2024 तक उपस्थित रहने बारे अनुरोध किया गया था। एफएलसी का कार्य लघु सचिवालय नारनौल में स्थित ईवीएम वेयर हाऊस में किया गया था। एफएलसी का कार्य आयोग द्वारा जारी एसओपी अनुसार किया गया, जिसके अनुसार 24 घण्टे सीसीटीवी की कवरेज की गई, वीडियोग्राफी की गई तथा वैबकास्टिंग करवाई गई। एफएलसी के दौरान 24 घण्टे प्रवेश एवं निकास द्वार पर सशस्त्र पुलिसकर्मी मौजूद रहे। एफएलसी का कार्य पूर्ण होने उपरान्त ईवीएम निर्माता कम्पनी (BEL) के ईन्जिनियर ने इस बात का प्रमाण–पत्र दिया कि ईवीएम के सभी पार्टस ओरिजनल है। इस प्रकार एफएलसी के दौरान राजनैतिक दलों को पुरी संतुष्टि के साथ शामिल किया गया तथा उनको रैण्डेमाईज तरीके से किसी भी मशीन में मॉक पोल करने की अनुमति भी प्रदान की गई। जिसके बाद सभी मशीनों को पिंक पेपर सील से सीलबन्द किया गया, जिसपर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी हस्ताक्षर किये। इस प्रकार से मेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 70–नारनौल में एफएलसी का कार्यक्रम भी दिनांक 01.08.2024 से दिनांक 16.08.2024 तक जारी किया गया, जो कि यह कार्य दिनांक 13.08.2024 तक जिला मुख्यालय महेन्द्रगढ स्थित नारनौल ईवीएम वेयर हाऊस में पूर्ण कर लिया गया था। इस दौरान निम्नलिखित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था **(Annexure-3)** :

1. श्री सुशील चौटाला, भाजपा
2. श्री विरेन्द्र सिंह, जजपा
3. श्री अनूप कौशिक, कॉग्रेस
4. श्री अशोक दास, बसपा
5. श्री राजेन्द्र, भाजपा
6. श्री अमित, जजपा
7. श्री जितेन्द्र, आप
8. श्री विकास, आप

2. **एफएलसी के बाद ईवीएम का भण्डारण :**

क. आयोग ने एफएलसी के बाद ईवीएम के भण्डारण के लिये निम्नलिखित प्रावधान किए हं :

- आयोग ने स्ट्रांग रूम में "एफएलसी ओके ईवीएम" के भंडारण के लिए और वहां चौबीसो घंटे सुरक्षा के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। स्ट्रांग रूम में 24X7 सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस बल का कम से कम एक सेक्शन तैनात किया जाता है।
- ऐसे स्ट्रॉग रूम और गलियारों के प्रवेश बिंदु पर डीवीआर युक्त 24X7 सीसीटीवी कवरेज होगा।
- प्रवेश बिंदु पर तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा लॉग बुक बनाए रखा जाता है।
- जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), पुलिस अधीक्षक (एसपी), प्रेक्षक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि स्ट्रॉग रूम का दौरा करते हैं।
- यह व्यवस्था उस समय तक जारी रहती है जब तक कि चुनाव की तैयारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन नहीं कर लिया जाए।
- राजनीतिक दलों को "एफएलसी–ओके ईवीएम" के भंडारण और उनकी सुरक्षा के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाता है।

ख. एफएलसी के बाद महेन्द्रगढ जिले की सभी ओ.के. ईवीएम को लघु सचिवालय नारनौल में स्थित ईवीएम वेयर हाऊस में रखा गया, जिसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र 70–नारनौल की ईवीएम भी शामिल थी। उक्त वेयर हाऊस में 24X7 सुरक्षा बनाये रखने के लिये हरियाणा राज्य सशस्त्र पुलिस बल का कम से कम एक सैक्शन तैनात किया गया, जिसकी प्रवेश द्वारा पर डीवीआर युक्त 24X7 सीसीटीवी कवरेज की गई तथा प्रवेश द्वारा पर एक लॉग बुक भी रखी गई ताकि जब भी जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पर्यवेक्षक और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उक्त वेयर हाऊस का दौरा करें तो वह अपनी उपस्थित इस लॉग बुक में दर्ज कर सके।

3. **ईवीएम की रैंडेमाईजेशन :**

वेयर हाउस में रखी गई ईवीएम की रैंडेमाईजेशन ईएमएस ऐप के जरिए दो बार की जाती हैं। यह ऐप भारत निर्वाचन आयोग की आईटी टीम द्वारा विकसित किया गया है।

3.1 प्रथम रैंडेमाइजेशनः

क. ईवीएम की प्रथम रैंडेमाइजेशन से पहले 10 प्रतिशत मशीनें प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के लिए अलग रखी जाती हैं। फिर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रथम रैंडेमाइजेशन के

लिए एक कार्यक्रम तय करते हैं और राज्य के सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को नियत पावती के साथ कम से कम 48 घंटे पहले लिखित रूप में निमंत्रण भेजते हैं।

- डीईओ द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रैंडेमाईज तरीके से मशीनें आबंटित करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईएमएस के माध्यम से प्रथम रैंडेमाइजेशन किया जाता है।
- रैंडमाइज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सूची राजनीतिक दलों को दी जाती है और उनसे लिखित रूप में पावती ली जाती है।

ख. ईवीएम वेयर हाऊस में रखी गई ओ.के. ईवीएम की ईएमएस ऐप (EVM Management System) के माध्यम से दो बार रैण्डेमाईजेशन की गई। यह ऐप भारत निर्वाचन आयोग की आई.टी. टीम द्वारा विकसित किया गया है। जिला महेन्द्रगढ की प्रथम रैण्डेमाईजेशन सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति **(Annexure-4)** में दिनांक 02.09.2024 को की गई तथा मेरे द्वारा 70—नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये आवंटित मशीनों को दिनांक 07.09.2024 को प्राप्त किया गया। 70—नारनौल विधानसभा क्षेत्र की सभी ईवीएम को राजकीय महाविद्यालय नारनौल के मल्टिपर्पज हॉल में स्थित ईवीएम स्ट्रॉग रूम में रखा गया, जिसकी सूचना सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निर्वाचन—2024/1368—69 दिनांक 07.09.2024 के द्वारा दी गई थी **(Annexure-5),** जिसकी 24X7 सीसीटीवी कवरेज की गई तथा विडियोग्राफी भी करवाई गई। आयोग के आदेशानसुार सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था की गई थी।

3.2 **द्वितीय रैंडेमाइजेशन :**

क. उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा द्वितीय रैंडेमाइजेशन ईएमएस ऐप के माध्यम से किया जाता है।

- यह रैंडेमाइजेशन मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और आयोग के प्रेक्षकों, जो अन्य राज्यों के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, की उपस्थिति में किया जाता है।
- राजनैतिक दलों को द्वितीय रैंडेमाइजेशन के कार्यक्रम की सूचना, लिखित रूप में, दी जाती है।

ख. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षक श्रीमति शीबा जार्ज की उपस्थिति में दिनांक 24.09.2024 को मेरे द्वारा ईवीएम मशीनों की दूसरी रैण्डेमाईजेशन के लिये इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निर्वाचन—2024/1737—1748 दिनांक 22.09.2024 के द्वारा सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव व 70—नारनौल के सभी उम्मीदवारों को भाग लेने बारे लिखा गया था **(Annexure-6)** तथा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दूसरी रैण्डेमाईजेशन सम्पन्न करवाई गई **(Annexure-7),** इस दौरान विडियोग्राफी

भी करवाई गई तथा मशीनों की सूची सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाई गई।

4. **ईवीएम को चालू करना (कमीशनिंग) :**

क. उम्मीदवारियां वापस लेने के पश्चात, रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को चालू करने और उनमें उम्मीदवारों को सेट करने का कार्यक्रम तैयार करते हैं।

- सभी उम्मीदवारों को समुचित पावती के साथ कार्यक्रम की सूचना दी जाती है जिसमें उनसे मशीनों को चालू करने की प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।
- उम्मीदवारों से मॉक पोल प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।
- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मशीनों को चालू करने का कार्य पूर्ण सुरक्षा कवरेज और 24X7 सीसीटीवी कवरेज में सुरक्षित परिवेश में एक पृथक हॉल में किया जाता है।
- चालू करने (कमीशनिंग) के कार्य का संचालन सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (एआरओ) और आरओ द्वारा तैनात किए गए अन्य अधिकारियों द्वारा बीईएल की तकनीकी टीम की सहायता से हॉल में मौजूद आरओ, आयोग के प्रेक्षक और सभी उम्मीदवारों की उपस्थिति में किया जाता है।
- और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, लोड किए जा रहे प्रतीकों को प्रदर्शित करने के लिए उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों के लिए प्रत्येक सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) के साथ अलग से टीवी मॉनिटर संस्थापित किए जाते हैं।
- इस समय, विनिर्माण कंपनी के इंजीनियर फिर से मशीन के हरेक कल–पुरजे की जांच करते हैं और उसे उम्मीदवारों को दिखाने के बाद रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) को प्रमाणपत्र देते हैं।
- पहले, बैलेट यूनिट (बीयू) तैयार और सीलबंद किया जाता है, तब वीवीपैट यूनिट तैयार किया जाता है। एक नया पावर पैक (बैटरी) और नया पेपर रोल संस्थापित किया जाता है। वीवीपैट कम्पार्टमेंट को सील बंद करने के पश्चात, कंट्रोल यूनिट (सीयू) तैयार किया जाता है और उसमें उम्मीदवारों को सेट किया जाता है। सीयू में एक बिलकुल नया पावर पैक संस्थापित किया जाता है।
- सभी तीनों (3) यूनिटों को तैयार करने एवं पुरानी प्रयुक्त की गई बैटरी को बिलकुल नई बैटरी से प्रतिस्थापित करने के बाद सीयू, बीयू और वीवीपैट के केबलों को जोड़ा जाता है और इस बात की जांच करने के लिए कि ईवीएम और वीवीपैट ठीक तरीके से काम कर रही हैं या नहीं, मॉक पोल किया जाता है।

- संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, मशीन को बंद कर दिया जाता है, वीवीपैट तथा सीयू को सीलबंद कर दिया जाता है। वीवीपैट और सीयू के बैटरी सेक्शनों को भी थ्रेड सील और एड्रेस टैग का इस्तेमाल करके सीलबंद कर दिया जाता है।
- ईवीएम और वीवीपैट की सभी मुहरों (सील) पर रिटर्निंग अधिकारी और उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों/एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।
- चालू करने (कमीशनिंग) के बाद मशीनें आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सभी प्रोटोकॉल के साथ पुनः स्ट्रांग रूम में स्टोर की जाती है।

ख. उम्मीदवारों के द्वारा नाम वापिस लेने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा ईवीएम को चालू करने और उनमें उम्मीदवारों को सैट करने का कार्यक्रम तैयार किया जाता है। जो कि मेरे द्वारा सभी उम्मीदवारों को कमिशनिंग के कार्यक्रम बारे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1816–1827 दिनांक 24.09.2024 **(Annexure-8)** तथा क्रमांक निर्वाचन–2024/1960–72 दिनांक 27.09.2024 **(Annexure-9)** के द्वारा सभी उम्मीदवारों को सूचित किया गया तथा मॉक पोल की प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया गया। 70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सभी ईवीएम की कमिशनिंग का कार्य मेरे द्वारा दिनांक 25.09.2024 से दिनांक 28.09.2024 तक मल्टिपर्पज हॉल, राजकीय महाविद्यालय नारनौल में पर्यवेक्षक श्रीमति शीबा जार्ज और राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान पूरी सुरक्षा कवरेज तथा विडियाग्राफी करवाई करवाई गई। कमिशनिंग के कार्य के दौरान BEL के ईन्जिनियर द्वारा सभी मशीनों में सिम्बल लोड किये गये, जिसके लिये अलग से टीवी मॉनिटर लगाया गया ताकि उम्मीदवार व उनके प्रतिनिधि इस प्रक्रिया को अच्छे से देख सके। इस समय BEL के ईन्जिनियर द्वारा सभी मशीनों के कल पूर्जो की जांच की गई तथा प्रमाण पत्र दिया गया कि सभी कल पूर्जे ओरिजनल हैं।

सबसे पहले बीयू को तैयार किया गया तथा सीलबन्द किया गया, फिर वीवीपैट को तैयार किया गया तथा वीवीपैट में नई बैटरी लगाई गई और नया पेपर रोल लगाया गया, इसके बाद कन्ट्रोल यूनिट को तैयार किया गया तथा उसमें नई बैटरी लगाई गई व उम्मीदवारों को सैट किया गया। सभी तीनों यूनिटों में पुरानी बैटरी को हटाकर नई बैटरी लगाई गई, इसके बाद सीयू, बीयू और वीवीपैट के केबलों को जोड़ा गया। इस बात की जांच करने के लिये कि ईवीएम और वीवीपैट ठीक प्रकार से काम कर रही हैं या नही, मॉक पोल किया गया। इसके बाद सभी मशीनों को आयोग द्वारा जारी हिदायतों अनुसार पुनः स्ट्रॉग रूम में रखा गया। कमिशनिंग व मॉक पोल के दौरान निम्नलिखित राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे **(Annexure-10)** :

1. श्री कृष्ण यादव, कॉग्रेस
2. श्री विजय सैनी, इनेलो
3. श्री अमित कुमार, भाजपा

4. श्री विकास, आरआरपी
5. श्री सुशील चौटाला, भाजपा
6. श्री विरेन्द्र सिंह, जजपा

5. पोलिंग पार्टियों को ईवीएम उपलब्ध करवाना :

क. आयोग के अनुदेशों में यह भी उपबंध किया गया है कि पोलिंग टीमों की रवानगी के समय रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों को स्ट्रॉग रूम खोलने की तारीख और समय की सूचना लिखित रूप में देंगे।

- रिटर्निंग अधिकारी की मौजूदगी में, आयोग के प्रेक्षक और उम्मीदवार/उनके एजेंट, पोलिंग टीमों के पीठासीन अधिकारी इस बात की पूरी तरह जांच करते हैं कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट विधिवत रूप से सीलबंद किए गए हैं और उनकी मुहर (सील) और पता टैग अक्षत हैं और बैटरियां संस्थापित की गई हैं।
- उम्मीदवार, सुरक्षा कार्मिक के साथ पोलिंग पार्टियों की रवानगी देखते हैं।
- यदि पोलिंग पार्टियां मतदान से पहले या मतदान के बाद किसी मध्यवर्ती स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ ठहरते हैं, तो मध्यवर्ती ईवीएम स्ट्रॉग रूम के लिए एक उपयुक्त सरकारी भवन का चयन किया जाता है।
- मध्यवर्ती ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, उसे खोलने या बंद करने के लिए उसी मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन किया जाता है जो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालयों में नियमित स्ट्रॉग रूम के मामले में लागू है।
- ईवीएम नियंत्रण कक्ष द्वारा पोलिंग टीमों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ढोने वाले वाहनों की आवाजाही (मूवमेंट) का अनुवीक्षण जीपीएस और मोबाइल आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए राज्य के डीईओ और सीईओ के स्तरों पर किया जाता है कृपया अनुदेशों के सार–संग्रह, 2024 (खंड 1) में उपलब्ध आयोग के अनुदेश सं. 51/8/आईएनएसटी/2019–ईएमपी, दिनांक 05.02.2019 का अवलोकन करें,
- डीईओ सभी अभ्यर्थियों और प्रेक्षकों को संबंधित सेक्टर अधिकारियों के विवरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ढोने वाले सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबरों और विवरण की अधिसूचना देते हैं।
- आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक इस संबंध में दिए गए आयोग के अनुदेशों की कड़ाई से अनुपालना की निगरानी करते हैं।

ख. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्ट्रॉग रूम को खोलने तथा पोलिंग पार्टियों को ईवीएम व अन्य चुनाव सामग्री वितरित करने के लिये निम्नहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/2176–87 दिनांक 03.10.2024 के माध्यम से सभी उम्मीदवारों व राजनैतिक दलों को सूचना दी गई। आपके प्रतिनिधि द्वारा पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/ 2176–87 दिनांक 03.10.2024 **(Annexure-11)** के माध्यम से विधिवत पावती दी गई थी। इसके बाद सभी पोलिंग पार्टियों को ईवीएम वितरित की गई तथा पीठासीन अधिकारियों ने इस बात की जांच की कि बीयू,सीयू व वीवीपैट सभी विधिवत रूप से सीलबन्द की हुई है और उनकी सील व पता ठीक हैं। इसके बाद जी.पी.एस. लगे वाहनो में सभी पोलिंग पार्टियों को ईवीएम सहित सम्बन्धित मतदान केन्द्रों पर पहुंचाया गया।

6. **मतदान दिवस की व्यवस्थाएं :**

क. आयोग ने अपने अनुदेश सं. 51/8/अनु./2023–ईएमएस, दिनांक 16.10.2023 के जरिए मतदान के दिन मतदान केंद्र पर ईवीएम हैंडलिंग और पीठासीन अधिकारी और पोलिंग पार्टियों द्वारा किए जाने वाले संरक्षोपायों की एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है।

- वास्तविक मतदान आरंभ होने से पूर्व, आयोग के अनुदेश सं. 51/8/7/2019–ईएमएस, दिनांक 30.09.2019 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों के मौजूद पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल संचालित किया जाता है।
- मॉक पोल में यह सुनिश्चित करते हुए कम से कम 50 वोट डाले जाते हैं कि नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए वोट दर्ज हो जाएं।
- मॉक पोल के परिणामों को अभिनिश्चित करने के बाद, वीवीपैट पर्चियां निकाली जाती हैं और छद्म मतदान के आंकड़ों को हटा दिया जाता है और कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को फिर से विधिवत रूप से सीलबंद कर दिया जाता है।
- मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया पोलिंग एजेंटों को दिखाई जाती है और उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। उन्हें पेपर सीलों और थ्रेड सीलों पर भी हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा छद्म मतदान की तारीख और समय के साथ एक मॉक पोल प्रमाण पत्र भी दिया जाता है।
- पीठासीन अधिकारी मॉक पोल प्रमाण पत्र और पीठासीन अधिकारियों की डायरी में वास्तविक मतदान आरंभ होने की तारीख और समय भी नोट करते हैं।
- आयोग ने वास्तविक मतदान के दौरान आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए पोलिंग पार्टियों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

- कंट्रोल यूनिट में अल्प बैटरी के संकेत की दशा में, कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट का पावर पैक, जो भी मामला हो, आयोग की पत्र सं. 51/8/7/2020–ईएमएस, दिनांक 25.08.2020 में समाविष्ट निर्देशों के अनुसार तत्काल बदले जाने होते हैं।
- उनकी सहायता के लिए, विनिर्माण कंपनी के इंजीनियर के साथ सेक्टर अधिकारी फील्ड में उपलब्ध रहते हैं।
- सेक्टर अधिकारी को आरक्षित मशीनें आबंटित की जाती हैं और जहां भी जरूरत होती है, मशीनें बदल दी जाती हैं।
- यदि किसी मशीन को बदला जाता है, तो मॉक पोल और सीलबंद करने की संपूर्ण प्रक्रिया नई मशीन पर दोहराई जाती है। पोलिंग एजेंटों को मुहरों (सील) पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है।
- मतदान की समाप्ति के बाद, पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का 'क्लोजर बटन दबाकर मशीन को बंद कर देता है। वह फॉर्म 17ग में ईवीएम में दर्ज वोटों की कुल संख्या और पीठासीन अधिकारी की डायरी में मतदान की समाप्ति की तारीख और समय नोट करता है।
- फॉर्म 17ग में दर्ज विवरण मतदान की समाप्ति के समय पर मौजूद पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किए जाते हैं।
- तब पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को वियोजित (डिस्कनेक्ट) कर देता है और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को खोल (कैरिईंग केस) में डाल देता है।
- 10.15 पीठासीन अधिकारी वीवीपैट का पावर पैक (बैटरी) निकालता है और फिर मतदान केंद्र में मौजूद पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में ईवीएम और वीवीपैट को सीलबंद कर देता है।
- पीठासीन अधिकारी एड्रेस टैग पर अपना हस्ताक्षर करता है और उस पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर कराता है।
- मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा में संग्रहण केंद्र (कलेक्शन सेंटर) तक ले जाई जाती हैं।

ख. आयोग की हिदायतों अनुसार मतदान के दिन मतदान शुरू होने से पूर्व सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा मॉक पोल करवाया गया तथा यह सुनिश्चित करते हुये कि नोटा सहित सभी अभ्यर्थियों के लिये वोट दर्ज हो जायें, कम से कम 50 वोट डलवाये गये। इसके बाद परिणाम को अच्छे से चैक करने के बाद मॉक पोल की पर्चियां निकाली गई तथा मॉक पोल का डाटा ई.वी.एम. से हटाया गया तथा सीयू व वीवीपैट को विधिवत सीलबन्द किया गया। मॉक पोल

की यह प्रक्रिया सभी पोलिंग एजेन्टों की उपस्थिति में की गई तथा उनके हस्ताक्षर लिये गये। सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा मॉक पोल का प्रमाण पत्र भी दिया गया। सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा मॉक पोल प्रमाण पत्र और पी.ओ. डायरी में वास्तविक मतदान आरम्भ होने की तिथि व समय भी नोट किया गया।

मतदान की समाप्ति के बाद सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा कन्ट्रोल यूनिट का क्लोज का बटन दबाकर मशीन को बन्द किया गया तथा फॉर्म 17सी में ईवीएम में दर्ज वोटों की कुल संख्या और पी.ओ. डायरी में मतदान की समाप्ति की तिथि व समय नोट किया गया। इसके बाद फॉर्म 17सी की प्रति मतदान केन्दों पर मौजूद सभी पोलिंग एजेन्टों को दी गई। मतदान उपरान्त सभी ईवीएम मशीनों को राजकीय महाविद्यालय नारनौल स्थित क्लैक्शन सैन्टर पर लाया गया।

7. मतयुक्त ईवीएम का भंडारण

क. मतयुक्त ईवीएम और आरक्षित नाकाम ईवीएम के भंडारण के लिए, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पहले से ही अलग स्ट्रांग रूम निर्धारित किए जाते हैं।

- मतयुक्त ईवीएम उपयुक्त वीडियोग्राफी के तहत अभ्यर्थियों और उनके एजेंटों को पूर्व में सूचना देकर आयोग के पत्र सं. 464/स्ट्रांग रूम/2023–ईपीएस, दिनांक 18.07.2023 में समाविष्ट अनुदेशों के अनुसार, सुरक्षित भंडारण के लिए जमा कर दी जाती हैं।
- मतयुक्त ईवीएम के लिए स्ट्रॅाग रूम में, संबंधित वर्गों/रैकों में खास–खास मतदान केंद्रों की ईवीएम को रखने के लिए फ्लोर स्पेस निर्धारित किया जाता है।
- आयोग ने मतयुक्त ईवीएम के भंडारण के लिए सख्त सुरक्षात्मक एवं संरक्षात्मक उपाय निर्धारित किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं–

– बिना किसी खिड़की या वैकल्पिक दरवाजे के स्ट्रॅाग रूम में प्रवेश का एकमात्र रास्ता।

– स्ट्रॅाग रूम, जहां मतयुक्त ईवीएम रखी जाती हैं, में डबल लॉक सिस्टम होता है। लॉक–1 की चाबियां रिटर्निंग अधिकारी के पास रहती हैं जबकि लॉक–2 की चाबियां सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास रहती हैं।

– द्विस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहती है जिसमें सबसे भीतरी परिधि सीएपीएफ कवरेज के अधीन और बाह्य परिधि राज्य सशस्त्र पुलिस बल के अधीन रहती है।

– स्ट्रॅाग रूम की संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए डीवीआर सहित सीसीटीवी कैमरे और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

– प्रत्येक प्रवेश, निकास के लिए और सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी रोस्टर के लिए सीएपीएफ द्वारा उचित उपयुक्त लॉग बुक बनाए रखा जाता है। आंतरिक परिधि को पार करने वाले व्यक्ति

की तिथि, समय, अवधि और नाम लॉग बुक में दर्ज प्रविष्ट किए जाते हैं और प्रत्येक मामले में हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इसमें प्रेक्षक या जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) या पुलिस अधीक्षक (एसपी) या उम्मीदवार या उनके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति के दौरे (विजिट) शामिल हैं।

– कोई भी वाहन, जिसमें किसी भी पदधारी या मंत्री या किसी अन्य राजनीतिक पदाधिकारी के वाहन शामिल हैं, को उस सुरक्षित परिसर के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं है जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और वीवीपैट तथा चुनावी कागजात निर्वाचन पत्र स्टोर किए गए हैं।

– उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रॉग रूमको खोलते और बंद करते समय प्रवेश बिंदु की निरंतर वीडियोग्राफी की जाती है।

– उम्मीदवार आंतरिक परिधि के बाहर से वज्र गृह की सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते रहने के लिए अपने लोगों को तैनात कर सकते हैं।

ख. 70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का कलैक्शन सैन्टर, मल्टिपर्पज हॉल, राजकीय महाविद्यालय नारनौल में बनाया गया। यहां पर सभी मतयुक्त मशीनों को स्ट्रॉग रूम में रखा गया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र 70–नारनौल के मतयुक्त सभी ईवीएम को स्ट्रॉग रूम में रखने उपरान्त सामान्य पर्यवेक्षक श्रीमति शीबा जार्ज और निम्नलिखित दलों के अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 05.10.2024 को रात्री 10:48 बजे स्ट्रॉग रूम को सील किया गया **(Annexure-12)** :

1. श्री कृष्ण यादव, कॉग्रेस
2. श्री सुशील चौटाला, भाजपा
3. श्री विरेन्द्र सिंह, जजपा
4. श्री विजय सैनी, इनेलो
5. श्री बलविन्द्र, कॉग्रेस

उक्त स्ट्रॉग रूम का प्रवेश का एकमात्र राश्ता छोड़कर सभी खिड़की व दरवाजों को ईंट व कंकरीट से बन्द किया गया। प्रवेश द्वार पर डबल लॉक सिस्टम लगाया गया, जिसकी एक चॉबी रिटर्निंग अधिकारी के पास तथा दूसरी चॉबी सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास उपलब्ध रही। स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा के लिये सी.ए.पी.एफ. के जवान तैनात रहे तथा डीवीआर सहित सीसीटीवी कैमरे लगाये गये। स्ट्रॉग रूम के बाहर लॉग बुक रखी गई। स्ट्रॉग रूम के बाहर बैरीकेडिंग भी की गई। स्ट्रॉग रूम के बाहर उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों के लिये स्ट्रॉग रूम की निगरानी के लिये टैण्ट भी लगाया गया, जिसमें सीसीटीवी की लाईव रिकॉर्डिंग दिखाने के लिये एलसीडी स्क्रीन भी लगाई गई, जहां पर आपके प्रतिनिधि लगातार उपस्थित रहे हैं।

8. फॉर्म 17ए और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा :

क. फॉर्म 17ए और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा के लिए नियत दिन पर, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी, प्रेक्षक और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन एजेंटों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन प्रपत्र स्ट्रॉग रूम वीडियोग्रॉफी के अधीन खोला जाता है।

- फॉर्म 17ए की संवीक्षा के लिए अपेक्षित संगत कागजात, यदि ढोए जाने अपेक्षित हों, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के साथ समुचित पुलिस अनुरक्षण के अंतर्गत ढोए जाते हैं। उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को, ऐसे कागजात को ढोकर ले जाने वाले वाहन का अनुगमन करने की भी अनुमति दी जाती है।
- यात्रा योजना (ट्रैवल प्लान) के बारे में उम्मीदवारोंध्उनके चुनाव एजेंटों या उनके प्रतिनिधियों को समुचित जानकारी दी जाती है।
- फॉर्म 17क और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा पूरी होने के बाद, उन्हें उनके संबंधित पैकेटों में फिर से पैक किया जाता है और लॉग–बुक में प्रविष्टि करने तथा उस समय उपस्थित सभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों, प्रेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर लेने के बाद स्ट्रांग रूम को बंद और सीलबंद कर दिया जाता है।
- फॉर्म 17क और अन्य दस्तावेजों वाले स्ट्रांग रूम को खोलने और बंद करने की संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत रूप से वीडियोग्राफी की जाती है।

ख. 70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के फॉर्म 17 ए और अन्य दस्तावेजों की संविक्षा की प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी, पर्यवेक्षक श्रीमति शीबा जार्ज व राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 06.10.2024 को प्रातः 11:00 बजे मल्टिपर्पज हॉल, राजकीय महाविद्यालय नारनौल में की गई थी। इस प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी करवाई गई थी। इस दौरान निम्नलिखिल राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे **(Annexure-13)** :

1. श्री विजय सैनी, इनेलो
2. श्री कृष्ण यादव, कॉग्रेस
3. श्री आर.के. चौधरी, आप
4. श्री सभा राम, निर्दलीय

9. मतों की गिनती :

क. मतगणना के दिन, मतयुक्त ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम को उम्मीदवारों/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, आरओ/एआरओ की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के अधीन खोला जाएगा।

- मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को स्ट्रांग रूम से मतगणना हॉल तक ले जाने की तैयारी मोर्चाबंद रास्तेधनिरापद रास्ते से सुरक्षित तरीके से की जाती है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि दो स्ट्रांग रूमों की मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आवाजाही (मूवमेंट) का रास्ता एक–दूसरे से न टकराए। मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आवाजाही (मूवमेंट) की वीडियोग्राफी भी की जाती है।
- मतगणना हॉल में केवल कंट्रोल यूनिट (सीयू) ही लाई जाएंगी।
- कंट्रोल यूनिट (सीयू) को चालू करने से पहले, उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों की उपस्थिति में मतगणना स्टाफ द्वारा सील की गहन जांच की जाती है।
- कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों का मिलान फॉर्म 17ग में उल्लिखित मतों की कुल संख्या से किया जाता है, जिसे पहले ही मतदान केंद्रों पर उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किया गया था।
- कंट्रोल यूनिट पर मतदान का प्रारंभ समय एवं तारीख और मतदान की समाप्ति समय और तारीख सत्यापित की जाती है और पोलिंग एजेंटों को दिखाई जाती है।
- मतगणना एजेंट फॉर्म 17ग में हस्ताक्षर करके प्रमाणित करते हैं कि कंट्रोल यूनिट वही है जिसका उपयोग उसी मतदान केंद्र में किया गया था।
- आयोग ने पोलिंग स्टाफ द्वारा प्रक्रियात्मक चूक करने या मतदान की तारीख और समय के विवरण में असंगति के मामले में उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए स्पष्ट अनुदेश दिए हैं।
- प्रत्येक चक्र की मतगणना पूरी होने पर, रिटर्निंग अधिकारी उस चक्र के परिणाम की घोषणा करते हैं। इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनों में मतों की गणना के आखिरी चक्र के अंत में, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5 रैंडेमाइज रूप से चयनित मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का अधिदेशात्मक सत्यापन करते हैं।
- इन 5 इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनों का रैंडेमाइज चयन आयोग द्वारा अपने अनुदेश सं. 51/8/वीवीपैट–अनु./2019–ईएमपीएस, दिनांक 15.04.2019 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरओ द्वारा चिट्ठी डालने (ड्रॉ ऑफ लॉट) के माध्यम से किया जाता है।
- उम्मीदवारों को चिट्ठी डालने (ड्रॉ ऑफ लॉट) के संबंध में पहले से लिखित सूचना दी जाती है।
- यदि ईवीएम में दर्ज मतों और वीवीपैट पेपर पर्ची गणना के बीच कोई असंगति होती है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 56(घ)(4)(ख) के अनुसार वीवीपैट पेपर पर्ची मान्य होगी।

- ईवीएम मतगणना और अधिदेशात्मक वीवीपैट पेपर पर्ची गणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है।
- मतगणना के शुरू होने से लेकर परिणाम घोषित किए जाने तक आयोग के प्रेक्षक मौजूद बने रहते हैं।

ख. मतों की गणना के लिये ईवीएम स्ट्रॉग रूम को दिनांक 08.10.2024 को प्रातः 07:58 बजे खोला गया। इस दौरान आपके प्रतिनिधि श्री कृष्ण यादव **(Annexure-14)** और मतगणना पर्यवेक्षक श्री संजय कुमार, एस.सी.एस. 2014 बैच मौजूद थे, इस दौरान वहां पर उपस्थित सभी व्यक्तियों की उपस्थिति भी ली गई थी तथा पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी करवाई गई थी। मतगणना के लिये केवल सीयू को ही मतगणना हॉल में लाया गया था। सीयू को स्ट्रॉग रूम से मतगणना हॉल तक लाने के लिये रास्ते को बैरिकेड किया गया था तथा पूरे रास्ते की सीसीटीवी कवरेज की गई थी। सीयू को चालू करने से पहले उम्मीदवारों के मतगणना एजेन्टों की उपस्थिति में मतगणना स्टॉफ द्वारा सील की गहनता से जांच की गई तथा सीयू में दर्ज मतों का मिलान फॉर्म 17 सी में दिये गये मतों की कुल संख्या से किया गया। प्रत्येक राउण्ड की मतगणना पूरी होने पर मेरे द्वारा राउण्ड का परिणाम घोषित किया गया। मतगणना के बाद पांच वीवीपैट मशीनों का ड्रॉ ऑफ लॉट के द्वारा चयन किया गया, जो कि मतदान केन्द्र की क्रम संख्या 15, 70, 71, 115, 137 **(Annexure-15)** पर थे। जिसकी विडियोग्राफी भी करवाई गई। इन पांचो वीवीपैट की पर्चियों की गणना की गई और ईवीएम की मतगणना से मिलान किया गया, जो कि सही पाया गया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र 70—नारनौल की मतगणना दिनांक 08.10.2024 को मल्टिपर्पज हॉल, राजकीय महाविद्यालय नारनौल पर्यवेक्षक श्री संजय कुमार और उम्मीदवारों/उनके मतगणना एजेन्टों/चुनाव एजेन्टों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राजनैतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके एजेन्ट चुनाव की विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल रहे हैं तथा निम्नहस्ताक्षरी द्वारा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन किया गया है, जिसकी सूचना समय—समय पर आपको भी दी गई। चुनाव की विभिन्न प्रक्रियाओं में आप/आपके प्रतिनिधि शामिल रहे, जिनका पुनः विवरण निम्नलिखित है :

➢ एफलसी का कार्यक्रम महेन्द्रगढ स्थित नारनौल के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक निर्वाचन—2024/ 3676, दिनांक 30—07—2024 **(Annexure-2)** के जरिए आईएनसी सहित सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध किया गया कि इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने के लिए प्रतिनिधियों को भेजें। उक्त प्रक्रिया में आईएनसी सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया **(Annexure-3)**। एफएलसी हॉल में डीईओ द्वारा बनाए रखे गए लॉग रजिस्टर में दिनांक 01—08—2024 को आईएनसी

प्रतिनिधि श्री अनूप कौशिक की उपस्थिति के बारे में विवरण है **(Annexure-16)** । यह प्रक्रिया सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों की संतुष्टि के साथ पूरी हुई और आईएनसी सहित किसी ने भी कोई आपत्ति/मुद्दा नहीं उठाया था।

- ईवीएम के प्रथम रैंडमाइजेशन का कार्यक्रम महेन्द्रगढ स्थित नारनौल के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/4170 दिनांक 29–08–2024 तथा पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/4222 दिनांक 02–09–2024 के जरिए आईएनसी सहित सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए साझा किया गया था कि इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने के लिए प्रतिनिधियों को भेजें। महेन्द्रगढ जिले में आईएनसी कार्यालय द्वारा कार्यक्रम प्राप्त होने की विधिवत पावती पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/ 4170 दिनांक 29–08–2024 **(Annexure-17)** के जरिए दी गई थी। प्रथम रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के दौरान श्री अभिजीत सिंह (आईएनसी के प्रतिनिधि) उपस्थित थे **(Annexure-4)**। यह प्रक्रिया सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों की संतुष्टि के साथ पूरी हुई और आईएनसी सहित किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति/मुद्दा नहीं उठाया गया था।
- प्रथम रैंडमाइजेशन के बाद, ईवीएम की Segregation दिनांक 02.09.2024 **(Annexure-18)** को ईवीएम वेयर हाऊस में की गई थी, जिसकी पावति श्री कृष्ण (आईएनसी के प्रतिनिधि) के द्वारा दी गई। तदउपरान्त दिनांक 07–09–2024 को ईवीएम मशीनों को लघु सचिवालय नारनौल स्थित ईवीएम वेयर हाऊस से राजकीय महाविद्यालय नारनौल के मल्टिपर्पज हॉल स्थित 70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ईवीए स्ट्रॉग रूम में लाया गया **(Annexure-5)**।
- ईवीएम की द्वितीय रैंडमाइजेशन का कार्यक्रम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 70–नारनौल के लिए आरओ होने के नाते मेरे द्वारा पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1737–1748 दिनांक 22–09–2024 के जरिए आईएनसी उम्मीदवार राव नरेन्द्र सिंह सहित चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए साझा किया गया था कि द्वितीय रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहें। आप/आपके प्रतिनिधि द्वारा कार्यक्रम प्राप्त होने की विधिवत पावती पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1737–1748 दिनांक 22–09–2024 **(Annexure-6)** के जरिए दी गई थी। द्वितीय रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान आईएनसी प्रतिनिधि श्री माला राम दिनांक 24–09–2024 को उपस्थित थे **(Annexure-7)**। यह प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की संतुष्टि के साथ पूरी हुई और किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति/मुद्दा नहीं उठाया गया था। द्वितीय रैंडमाइजेशन के बाद ईवीएम आपके प्रतिनिधि श्री बलविन्द्र की उपस्थिति में दिनांक 25–09–2024 **(Annexure-19)** को स्ट्रांग रूम में स्टोर की गई थीं। इस प्रक्रिया के दौरान सामान्य पर्यवेक्षक श्रीमति शीबा जार्ज, आई.ए.एस. 2013 बैच भी उपस्थित थे। इसके अलावा, प्रथम स्तरीय जांच के समय, सभी रैंडमाइजेशन के समय ईवीएम की सूची डीईओ द्वारा राष्ट्रीय और राज्यीय स्तर की सभी मान्यताप्राप्त

राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी। प्रत्येक चरण में स्ट्रांग रूम से ईवीएम की आवाजाही के समय आप या आपके प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं।

- पुनः, मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात 70–नारनौल के संबंध में ईवीएम को चालू करने (कमीशनिंग) का कार्य 25–09–2024 से 28–09–2024 तक मल्टिपर्पज हॉल, राजकीय महाविद्याल, नारनौल में किया गया था। मेरे द्वारा इसका कार्यक्रम पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1816–1827 दिनांक 24–09–2024 तथा क्रमांक निर्वाचन–2024/1960–72 दिनांक 27–09–2024 के जरिए आईएनसी सहित सभी उम्मीदवारों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए साझा किया गया था कि कार्यक्रम का निरीक्षण करें और मॉक पोल में भाग लें। पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1816–1827 दिनांक 24–09–2024 **(Annexure-08)** तथा पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/1960–72 दिनांक 27–09–2024 **(Annexure-09)** के जरिए कार्यक्रम की सूचना दी गई थी। कमीशनिंग प्रक्रिया के दौरान, आपके प्रतिनिधि श्री कष्ण यादव उपस्थित थे **(Annexure-10)**। कमीशनिंग के समय आप/आपके प्रतिनिधि द्वारा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था। यह प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों की संतुष्टि के साथ मेरी उपस्थिति में पूरी हुई। कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ईवीएम मेरे हस्ताक्षर और राजनैतिक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अंतर्गत सीलबंद की गई थीं। उसके बाद ईवीएम पुनः स्ट्रांग रूम में रखकर स्ट्रॉग रूम को सील कर दिया गया था।
- इसके अतिरिक्त, मेरे पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/ 2176–2187 दिनांक 03–10–2024 के माध्यम से ईवीएम और पोलिंग पार्टियों के डिस्पैच के दिन स्ट्रांग रूम खोलने के कार्यक्रम के बारे में आपको लिखित रूप से सूचित किया गया था। आपके प्रतिनिधि द्वारा पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/2176–2187 दिनांक 03–10–2024 **(Annexure-11)** के जरिए पत्र की विधिवत पावती दी गई थी।
- मतदान के दिन, वास्तविक मतदान से पहले, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 70–नारनौल के सभी मतदान केंद्रों पर आपके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मॉक पोल आयोजित किया गया था। मॉक पोल पूरा होने के प्रमाण पत्र पर आपके पोलिंग एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए थे और मॉक पोल प्रक्रिया या ईवीएम की कार्यप्रणाली के बारे में आपके/आपके पोलिंग एजेंटों द्वारा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था। वास्तिविक मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की गई तथा मतदान प्रक्रिया के दौरान आपके पोलिंग एजेंटों द्वारा किसी भी मतदान केन्द्र पर काई भी आपत्ति दर्ज नहीं की गई। वास्तविक मतदान पूरा होने के बाद, ईवीएम को आपके पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा सीलबंद कर दिया गया था और उस समय भी मतदान प्रक्रिया और ईवीएम की कार्यप्रणाली पर आपके/आपके प्रतिनिधियों से कोई शिकायत/मुद्दा प्राप्त नहीं हुआ।
- इसके बाद मतयुक्त ईवीएम पोलिंग पार्टियों द्वारा राजकीय महाविद्यालय नारनौल में स्थित क्लेकशन सैन्टर पर जमा कर दी गई थीं और उसके बारे में आपको काफी समय रहते बता

दिया गया था। स्ट्रांग रूम के लॉग रजिस्टर के अनुसार, मतयुक्त ईवीएम आपके प्रतिनिधि श्री कृष्ण यादव और सामान्य पर्यवेक्षक श्रीमति शीबा जार्ज, आई.ए.एस. 2013 बैच की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में दिनांक 05—10—2024 को रात्री 10:48 बजे स्टोर की गई थीं **(Annexure-12)** और उन सबकी उपस्थिति में स्ट्रांाग रूम को बंद भी किया गया था। उस समय भी आपके/आपके प्रतिनिधि की ओर से कोई शिकायत या मुद्दा नहीं उठाया गया था।

➤ दिनांक 05—10—2024 को स्ट्रांग रूम बंद होने के बाद से दिनांक 08—10—2024 को मतगणना की तिथि तक मतयुक्त ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई थीं, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की सुरक्षा में था। अधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया गया था और आपके प्रतिनिधियों के द्वारा स्ट्रांग रूम में आवाजाही पर नियमित रूप से नज़र बनाए रखने के लिए अलग से टैन्ट लगाया गया था तथा टैन्ट में स्ट्रॉग रूम के सीसीटीवी कैमरे को लाइव दिखाने के लिए एलसीडी भी लगाई गई थी, जहां पर आपके प्रतिनिधि लगातार उपस्थित रहे थे। इस दौरान न तो आपने और न ही आपके प्रतिनिधि ने मेरे या किसी एआरओ के पास कोई मुद्दा/शिकायत उठाई/दर्ज की।

➤ मतों की गणना के लिए नियत दिन मतयुक्त ईवीएम के स्ट्रांग रूम को दिनांक 08—10—2024 के प्रातः 07:58 बजे पर खोला गया था। स्ट्रांग रूम खोलने के दौरान आप/आपके प्रतिनिधि श्री कृष्ण यादव और मतगणना पर्यवेक्षक श्री संजय कुमार, एस.सी.एस. 2014 बैच भी मौजूद थे। लॉग रजिस्टर पर हस्ताक्षर लिए गए थे **(Annexure-14)**। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। उस समय भी, आपने/आपके प्रतिनिधि ने मतयुक्त ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और संरक्षा पर कोई चिंता व्यक्त नहीं की/कोई मुद्दा नहीं उठाया।

➤ इसके अलावा, आपके द्वारा नामित काउंटिंग एजेंट मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक मतगणना हॉल में मौजूद रहे थे। "मतगणना उपरांत संवीक्षा" भी उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधि राव नरेन्द्र सिंह व श्री कृष्ण यादव और मतगणना पर्यवेक्षक श्री संजय कुमार, एस.सी.एस. 2014 बैच की उपस्थिति में की गई। उस दौरान भी आपके उम्मीमदवार/आपके प्रतिनिधि राव नरेन्द्र सिंह व श्री कृष्ण यादव द्वारा कोई आपत्ति व्यिक्तत नहीं की गई।

➤ इसके अलावा, वर्ष 2023 की रिट याचिका (सिविल) सं. 434 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26.04.2024 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र सं. 51/8/अनुदेश/2024—ईएमएस, दिनांक 01.06.2024 में समाविष्ट अपने अनुदेशों के जरिए एसओपी निर्दिष्ट की है जिसमें जांच की जाने वाली यूनिटों को बाहर निकालने की आवेदन प्रक्रिया, प्रोटोकॉल तथा ईवीएम यूनिट (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट) की बर्न्ट मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की मतगणना उपरांत जांच और सत्यापन, प्रलेखन कार्य, आदि के लिए संरक्षोपाय एवं प्रोटोकॉल वर्णित किए गए हैं। उक्त अनुदेशों के पैरा 3(सी) में दी गई समय—सीमा के अनुसार, पात्र उम्मीदवार परिणाम की घोषणा की तारीख से 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर संबंधित डीईओ से लिखित अनुरोध कर सकते हैं। मेरे विधानसभा निर्वाचन

क्षेत्र 70–नारनौल से आईएनसी के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से मुझे ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

- **बैटरी पैक के ऊपर 99% चार्ज दर्शित (डिस्पले) होना:–** जहां तक कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले में बैटरी की स्थिति का 99% प्रदर्शित होने का प्रश्न है, इस संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कंट्रोल यूनिट में बैटरी कमीशनिंग के दौरान उम्मीदवारों की उपस्थिति में डालकर सीलबंद की जाती है तथा उनके/उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। हस्ताक्षर उम्मीदवार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी भी चरण पर चैक किए जा सकते हैं, इसलिए इससे छेड़छाड़ करना असंभव है। ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में एल्कालाइन बैटरी का उपयोग होता है। यह बैटरी कंट्रोल यूनिट के साथ 04 बैलेट यूनिट लगाने पर भी 2000 वोटों तक के लिए सक्षम होती है तथा यह उच्च गुणवत्ता की बैटरी होती है। नए पावर पैक की प्रारम्भिक वोल्टेज लगभग 7.4 से 8.0 वोल्ट तक होती है तथा इसकी पावर खपत बहुत कम होती है। वोल्टेज के 7.4 के ऊपर होने पर बैटरी की क्षमता 99% प्रदर्शित होती है। उपयोग के साथ बैटरी की क्षमता और परिणामी वोल्टेज कम होता जाता है। जैसे ही वोल्टेज 7.4 से कम होता है, बैटरी की वास्तविक उपलब्ध क्षमता यानि 98% से नीचे प्रदर्शित होने लगती है। बैटरी में 5.8 से अधिक वोल्ट रहने पर कंट्रोल यूनिट कार्यरत रहती है। डिस्प्ले में प्रदर्शित प्रतिशत, कंट्रोल यूनिट पर किए गए मॉक पोल, वास्तविक पोल तथा बैटरी की प्रारम्भिक वोल्टेज पर निर्भर होती है जो विभिन्न मतदान केन्द्रों की ईवीएम में भिन्न–भिन्न हो सकती है। जिसके बारे में आपको इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/2425 दिनांक 08–10–2024 **(Annexure-1)** के द्वरा पहले भी अवगत करवाया जा चुका है।
- यह दोहराया जाता है कि ईवीएम को सख्त प्रोटोकॉल और हर समय केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), पुलिस आदि के सुरक्षा कवर में रखा गया है। अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों के साथ आप/आपके अधिकृत एजेंट ईवीएम हैंडलिंग के प्रत्येक चरण, बैटरी सेक्शन को सीलबंद करने के समय से शुरू करके उन्हें वापस स्ट्रांग रूम में स्टोर करने तक, मतदान के दिन उन्हें बाहर निकालने के समय, पूरे मतदान के दिन, मतदान बंद होने के समय सीलबंद करने, उन्हें पुनः मतदान केंद्रों से स्ट्रांग रूम में ले जाने, मतगणना के दिन उन्हें सभी Intact सील के साथ बाहर लाने तक में शामिल थे। इन सबके अलावा, मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं 70–नारनौल में श्रीमति शीबा जार्ज आई.ए.एस. 2013 बैच सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में, श्री अवुला रमेश रेड्डी, आई.पी.एस. 2007 बैच पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में और श्री आशीष सैनी, आई.आर.ए.एस. 2016 बैच व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। सभी के कांटैक्ट नं. सभी उम्मीदवारों को उपलब्धल कराए गए थे। सभी प्रक्रियाएं प्रेक्षकों की निगरानी में पूरी की गईं। आपके उम्मीदवारों/एजेंटों द्वारा पर्यवेक्षकों के समक्ष भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

70—नारनौल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के रूप में मैंने आयोग के सुसंगत अनुदेशों का पूरी तरह से अध्ययन किया है। आयोग के निर्देशानुसार मैंने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ नियमित रूप से संवाद किया है और उन्हें प्रत्येक चरण की सूचना लिखित रूप में, उनसे मिली पावतियों के साथ दी है। जब कभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा कोई मुद्दा उठाया गया, तो मैंने या मेरे सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने आयोग के निर्देशों के अनुसार तुरंत निराकरण किया। पुनः आपकी शिकायत में दिए गए सभी बिंदुओं पर तथ्य आधारित पड़ताल की गई जिसमें आपके द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार एवं तथ्यहीन पाए गए। यहां पुनः अवगत कराना है कि — एफएलसी, प्रथम रैंडमाइजेशन, द्वितीय रैंडमाइजेशन, चुनाव से पांच—सात दिन पहले ईवीएम की कमीशनिंग, बैटरी लगाने के पश्चात उसके एड्रेस टैग में उम्मीदवारों के एजेंटों के हस्ताक्षर लेना, तत्पश्चात स्ट्रांग रूम में उनका भंडारण, वितरण केन्द्र से पोलिंग पार्टियों को चालू (कमीशन) की गई ईवीएम वितरित करने, पोलिंग पार्टियों के मतदान केन्द्रों तक पहुंचने, मतदान वाले दिन मतदान से पहले मॉक पोल करने, पूरे दिन मतदान होने, मतदान के पश्चात क्लोज़ का बटन दबाने, मतदान के दौरान कितनी वोटिंग हुई उसका हिसाब पोलिंग एजेंट को देने, मतदान के बाद ईवीएम को सीलबंद करने तथा उस पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर लेने, तदुपरांत ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक ले जाकर स्ट्रांग रूम में जमा कराने तथा स्ट्रांग रूम को सीलबंद करने, फिर मतगणना वाले दिन स्ट्रांग रूम को खोलने, ईवीएम को काउटिंग हॉल में लाने, मतगणना करने से पहले ईवीएम की सील चैक करने तथा पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर सत्यापित करने, मतगणना के दौरान प्रत्येक राउण्ड में फॉर्म—17ग से ईवीएम में पड़े मतों का मिलान करने, राउण्डवाईज परिणाम घोषित करने — इन सभी प्रक्रियाओं में आप या आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि लगातार उपस्थित रहे हैं। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ईवीएम की कमिशनिंग प्रक्रिया के दौरान, ईवीएम के कन्ट्रोल यूनिट में बैटरी लगाने तथा उसे सील करने की तिथि से लेकर मतगणना समाप्त होने तक, आप या आपका प्रतिनिधि पूरी प्रक्रिया में मौजूद थे तथा ईवीएम में हेराफेरी/बदलाव/परिवर्तन/छेड़छाड़ सवर्था असम्भव है। अतः आपकी आशंकाएं पूर्णतः निराधार हैं। जैसा कि मेरे द्वारा उपर दिए विस्तृत विवरण से स्पष्ट है कि समस्त प्रक्रियाएं, ईवीएम की एफएलसी से लेकर मतगणना के पश्चात ईवीएम के स्ट्रॉग रूम में सीलिंग तक, विभिन्न राजनैतिक दलों व आप अथवा आपके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित की गई हैं। सभी प्रक्रियाओं के दौरान सम्पूर्ण पारदर्शिता व भागीदारी सुनिश्चित की गई तथा आयोग के दिशा—निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अतः आपके द्वारा मेरे उपर लगाए गए आरोप मिथ्या व तर्कविहीन हैं, जो कि मतगणना के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति से प्रेरित होते हैं। इसके अतिरिक्त, इन समस्त प्रक्रियाओं की केन्द्रीय पर्यवेक्षकों, सेक्टर अधिकारियों द्वारा निरंतर मॉनीटरिंग की गई है तथा ये सभी प्रक्रियाएं वीडियोग्राफी/सीसीटीवी कवरेज/लॉग बुक/रजिस्टर में प्रविष्टियों के अंतर्गत कवर की गई हैं। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों

में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, हेर–फेर अथवा जोड़–तोड़ सर्वथा असंभव है। इसलिए, आपके द्वारा लगाए गए आरोप वेबुनियाद, तथ्यहीन और बाद में उत्पन्न विचार (ऑफ्टरथॉट) से प्रेरित प्रतीत होते हैं और मिथ्या नैरेटिव गढ़ने की भावना से ग्रसित प्रतीत होते हैं। इसके बावजूद, यदि आप मेरे द्वारा दिए गए इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका द्वारा चुनाव को चुनौती देने का विकल्प उपलब्ध है।

रिटर्निंग अधिकारी,
70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उप मण्डल अधिकारी (ना0), नारनौल

पृ0 क्रमांक निर्वाचन–2024/2465 दिनांक : 28-10-2024

इसकी एक प्रति माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चण्डीगढ की सेवा में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

रिटर्निंग अधिकारी,
70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उप मण्डल अधिकारी (ना0), नारनौल

Annexure - 1
(Page 1/2)

प्रेषक

रिटर्निंग अधिकारी,
70 नारनौल विधानसभा क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (ना0) नारनौल।

प्रेषित

राव नरेन्द्र सिंह,
इंडियन नेशनल कॉग्रेस उम्मीदवार,
70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

क्रमांक निर्वाचन–2024/2425 दिनांक : 08-10-2024

विषयः – विधानसभा आम चुनाव 2024– **Objection regarding Battery Percntage.**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में,

विषयाधीन मामले मे आपको लिखा जाता है कि 70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के दौरान आप द्वारा ई.वी.एम. मशीनों की सूची देते हुये 03 शिकायत की गई है कि मशीनों की बैटरी 99 प्रतिशत शेष है। इस बारे अद्योहस्ताक्षरी द्वारा मतगणना हॉल में उपस्थित श्री दीपक, BEL Engineer द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर आपकी शिकायतों को दफतर दाखिल किया जाता है। यह आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

सलंग्न : वर्णित रिपोर्ट

रिटर्निंग अधिकारी
70 नारनौल विधानसभा क्षेत्र एव
उपमण्डल अधिकारी (ना0) नारनौल

Received Copy
Naresh

Scanned with CamScanner

Annexure-1
(Page 2/2) 2

Reasons for Battery capacity displayed as 99 % on the day of counting:

1. CU battery pack with alkaline cell discharges from 9.0V to 7.4V approximately for the polling of 500 votes. Since alkaline cells used in EVM power pack has the characteristics of regaining its voltage in power OFF condition (when CU is not in use) battery voltage increases to >7.4V. Hence on the day of counting when CU is powered ON, it initializes the available battery capacity to 99%.
2. It was also observed that "GP Ultra" alkaline cells used in EVM power pack is having slow ramp down of battery voltage against capacity consumed. Whereas the cells procured from other OEMs exhibit slightly faster ramp down of battery voltage as against the capacity consumed.
3. During commissioning post sample polling of 1500 votes (in 5%of available CUs), if the CU battery pack is not replaced with new battery pack, then on the day of polling CU displays "CHANGE BATTERY" message towards end of polling. In such cases battery pack is replaced with new battery pack which displays 99% capacity during counting.

उपरोक्त बिन्दुओ से स्पष्ट है कि मतगणना के दौरान कन्ट्रोल यूनिट में बैटरी स्टेटस 99 प्रतिशत दिखाई देना एक सामान्य प्रक्रिया है एवं यह कोई त्रुटि नही है।

अत: आवेदक द्वारा बैटरी के सबंध में की गई शिकायत निराधार है।

4/6/2024

नोडल अधिकारी (EVM)

उपरोक्त संबंध में BEL engineer एवं नोडल अधिकारी EVM से प्राप्त जानकारी अनुसार EVM में कोई त्रुटि परिलक्षित न होने से शिकायत आधारहीन होकर नस्तीबद्ध किए जाने योग्य है। कृपया समुचित परीक्षण व निराकरण हेतु प्रस्तुत।

Dy DEO
04/06/2024

एक copy मैंने Sir (RO) को दिया

(BEL Engr)
08/10/24 RO-Harnaul.

Desktop/E drive/SANDEEP/Letter 2024

Scanned with CamScanner

Annexure-2

DISTRICT ELECTION OFFICE, NARNAUL
जिला निर्वाचन कार्यालय, नारनौल

चुनाव का पर्व DESH KA GARV

क्रमांक निर्वाचन–2024/3676 दिनांक 30.07.2024

सेवा में

जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के
प्रधान/सचिव।

विषयः– आगामी हरियाणा विधान सभा आम चुनाव 2024–एफ0एल0सी0 हेतु ईवीएम वेयर हाउस, नारनौल में उपस्थित रहने बारे।

....

उपरोक्त विषय पर आपको भेजकर लिखा जाता है कि आगामी हरियाणा विधान सभा आम चुनाव 2024 को मध्यनजर रखते हुये ई.वी.एम. मशीनों की प्रथम स्तरीय चैकिंग (FLC) दिनांक 01.08.2024 से शुरू होनी है। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार प्रथम स्तरीय चैकिंग (FLC) के दौरान राजनैतिक दलों की उपस्थिति होनी आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रथम स्तरीय चैकिंग (FLC) के दौरान आप स्वयं या अपने प्रतिनिधि को दिनांक 01.08.2024 से ईवीएम वेयर हाउस, नारनौल में उपस्थित होने का कष्ट करे। यह आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
नारनौल।

Annexure-3

(Page 1/9)

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognized Political Parties-FLC Hall)

Date 01-08-24

Name of State: Haryana

Name of District: Mahendergarh

Address of FLC Hall : In campus of Mini Secretariat, Narnaul

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any. Time in	out
1	[illegible]	BJP	9350460673	[signature]	10:45	12:35
2	Virender Singh	JJP	9416443186	[signature]	10:45	"
3	Anup Kaushik	INC	9812201476	[signature]	11:15	"
		Date -	02-08-	2024		

Scanned with CamScanner

Annexure-3
(Page 2/9)

(Attendance Register for National and State Recognized Political Parties-FLC Hall)

Date 02-08-2024

Name of State: Haryana

Name of District: Mahendergarh

Address of FLC Hall : In campus of Mini Secretariat, Narnaul

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any. TIME in	out
1	B.S.P	अशोक राम	6564111199	[signature]	10:45	10:55
2	BJP	सुशील चोटाला	9350401677	[signature]	11:57	12:20
3.	JJP	Virender Singh	9416443186	[signature]	11:57	12:20
4.						
		Date - 03-8-2024				
1						
2						
3						

Scanned with CamScanner

Annexure-3
(Page 3/3)

-4

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognized Political Parties-FLC Hall)

Date 03/08/24

Name of State: Haryana

Name of District: Mahendergarh

Address of FLC Hall : In campus of Mini-Secretariat, Narnaul

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any. In / Out
1	सुरेन्द्र चौधरी	BJP		(signed)	10:45 11:00
2	Virender Singh	JJP		(signed)	11 -4

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-3
(Page 4/9)

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognized Political Parties-FLC Hall)

Date 04/08/24

Name of State: Haryana

Name of District: Mahendergarh

Address of FLC Hall : In campus of Mini Secretariat, Narnaul

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any. In	Out
1	[illegible]	BJP		[signature] 04/08/24	11:00	11:20
2.	Virender Singh	JJP		[signature] - 4/8/24	"	"

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-3
(Page 5/9)

-4

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognized Political Parties-FLC Hall)

Date 05-8-24

Name of State: Haryana

Name of District: Mahendergarh

Address of FLC Hall : In campus of Mini Secretariat, Narnaul

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any. In	Out
	Virender Singh	JJP		[illegible]	10:30	10:40
	[illegible]	BJP		[illegible]	"	10:40
		6/8/24				
	[illegible]	BJP		[illegible]	11:25	11:30
	Virender Singh	JJP		[illegible] -6/08/24	"	"
	[illegible]	BJP		[illegible]	4:50 pm	5:50 PM
	Virender Singh	JJP		[illegible]	"	"

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-3
(Page 6/9)

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognized Political Parties-FLC Hall)

Date 26/08/24

Name of State: Haryana

Name of District: Mahendergarh

Address of FLC Hall : In campus of Mini Secretariat, Narnaul

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity, document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any. IN Out
	Anup Kaushik	I.N.C		[signature]	15·10 17:50

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-3 -4

(Page 7/9)

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognized Political Parties-FLC Hall)

Date...07/08/2024

Name of State: Haryana

Name of District: Mahendergarh

Address of FLC Hall : In campus of Mini Secretariat, Narnaul

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any. TIME IN	out
1	B.S.P	[illegible]	9588341010	[signature]	11:10	11:45
2	BJP	[illegible]	9350461177	[signature]	11:10	4
3	BJP	राजेन्द्र -	8059215682	[signature]	11:10	4
4	JJP	Amit	9729559475	Amit	11:10	4
5		Date 08/08/2024				
6						
7 1						
8 2						
3						
4						

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-3
(Page 8/9)

(Attendance Register for National and State Recognized Political Parties-FLC Hall) **Annexure-3**

Name of State: Haryana **Date....08/08/24**

Name of District: Mahendergarh

Address of FLC Hall : In campus of Mini Secretariat, Narnaul

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any.	
					Time In	Out
1	BJP	सुशील चौहान	9750401677	[signature]	10:45	11:15
		Date - 09-08-2024				
1	BJP	सुशील चौहान	9350401677	[signature]	11:40	12:00
2	JJP	Virender Singh	9416443186	[signature]	"	"
		Date - 10-08-2024				
1	BJP	सुशील चौहान	9350401677	[signature]	11:43	12:30
2	JJP	Virender Singh	9416443186	[signature]	"	"

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-3
(Page 9/9)

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognized Political Parties-FLC Hall)

Date...13/8/2024

Name of State: Haryana

Name of District: Mahendergarh

Address of FLC Hall : In campus of Mini Secretariat, Narnaul

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any.
1	INC	Anup Kaushik	9812201426	[signature]	
2	AAP	Jitender	9034018038	[signature]	
3	AAP	Vikash	8059602260	Vikash	

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

NARNAUL प्रशासन

Annexure-4

GENERAL ELECTION OF HARYANA VIDHAN SABHA, 2024 – Meeting with political parties regarding first randomization of EVM under the chairmanship of Deputy Commissioner Narnaul on dated 02.09.2024 at 11:00 AM.

Venue : Room No. 118, Conference Hall at DC Office, Mini Secretariate, Narnaul.

Sr. No.	Name	Name of Political Party	Mobile No.	Signature
1.	Kishan Kumar	Cong	9416441160	[signature]
2.	सतीश कुमार	Cong.	9466853080	[signature]
3.	Virender Singh	JJP	9416443186	[signature]
4.	Satish Chauhan	BJP	9350401677	[signature]
5.	RK Choudhary	AAP	9891917546	[signature]
6.	Vijay Sharma Adv	INLD	9416964120	[signature]
7.	Abhijeet Singh	INC	9728795900	[signature]
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-5

पेषक

रिटर्निंग अधिकारी
70 नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (ना0) नारनौल।

प्रेषित

1. सभी उम्मीदवार, 70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
2. सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मान्यता राजनैतिक दल

क्रमांक निर्वाचन – 2024/1368-69 दिनांक : 7-9-2024

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2024 – ई.वी.एम. वेयर हाऊस से ई.वी.एम प्राप्त करके 70–नारनौल विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रॉग रूम में रखने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपको लिखा जाता है कि विधानसभा आम चुनाव–2024 दिनांक 05.10.2024 को होने निश्चित है। चुनाव को शान्तिपूर्वक सम्पन्न करवाने के लिये दिनांक 07.09.2024 को लघु सचिवालय नारनौल में स्थित ई.वी.एम. वेयर हाऊस से ई.वी.एम. प्राप्त कि जानी है और 70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के स्ट्रॉग रूम, मल्टिपर्पज हॉल, राजकीय महाविद्यालय नारनौल में रखा जाना है। अतः आपको लिखा जाता है कि आप/आपका प्रतिनिधि दिनांक 07.09.2024 को प्रातः 11:00 बजे मल्टिपर्पज हॉल, राजकीय महाविद्यालय नारनौल में पहुंचने का कष्ट करें।

रिटर्निंग अधिकारी
70 नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (ना0) नारनौल

पृ0 क्रमांक निर्वाचन–2024/1370 दिनांक : 7-9-2024

इसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त, नारनौल की सेवा में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

रिटर्निंग अधिकारी
70 नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (ना0) नारनौल

7/9/24

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-6

प्रेषक

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी,
70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं,
उपमण्डल अधिकारी (ना0), नारनौल।

प्रेषित

1. श्री ओम प्रकाश यादव, भाजपा उम्मीदवार।
2. श्री नर सिंह, इनेलो उम्मीदवार।
3. राव नरेन्द्र सिंह, कांग्रेस उम्मीदवार।
4. श्री रविन्द्र सिंह मटरू, आप उम्मीदवार।
5. श्री सुरेश कुमार सैनी, जजपा उम्मीदवार।
6. श्री तेज प्रकाश, भा.श.पे. उम्मीदवार।
7. श्री विकास, राईट टू रिकॉल उम्मीदवार।
8. श्री उमाकान्त, निर्दलीय उम्मीदवार।
9. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री राजकुमार, निर्दलीय उम्मीदवार। [Krishan]
10. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामकुमार, निर्दलीय उम्मीदवार।
11. श्री रामाराम, निर्दलीय उम्मीदवार।
12. सभी राजनैतिक दलों के जिला प्रधान/जिला सचिव, जिला महेन्द्रगढ।

क्रमांक निर्वाचन–2024/1737 – 1748 दिनांक : 22.09.2024

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2024 – 70 नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये EVM 2nd Rendomzation की सूचना बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको लिखा जाता है कि विधानसभा आम चुनाव 2024 दिनांक 05.10.2024 को होने निश्चित हैं। चुनाव को सम्पन्न करवाने के लिये EVM 2nd Rendomization दिनांक 24.09.2024 को प्रातः 11:00 वजे कमरा न0 118 प्रथम तल लधु सचिवालय नारनौल में किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर आप स्वयं अथवा प्रतिनिधी/अभिकर्ता को भेजना सुनिश्चित करें।

यह आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी,
70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं,
उपमण्डल अधिकारी (ना0), नारनौल।

पृ0 क्रमांक निर्वाचन–2024/ दिनांक :

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है:
1. प्रयवेक्षक 70 नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त, नारनौल ।
3. सभी रिटर्निंग अधिकारी, जिला महेन्द्रगढ।

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी,
70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं,
उपमण्डल अधिकारी (ना0), नारनौल।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-7

Attendance sheet of 2nd Randomization of EVMs in the presences of General Observers, DEO, RO's and Political Parties on dated 24.09.2024 at Room No. 118, Mini Secretariat, Narnaul.

S. No.	Name of Candidate/ Election Agent	Assembly Constituency/Party	Mobile No.	Signature
1	Sawan Singh	Ateli - BJP	7-988319490	Sawan Singh
2	Vijay Saini INLD	NNL INLD	9416964630	[signature]
3	Sidharth Chauhan	BJP अटेली	9350411677	[signature]
4	MALARAM	INC नारनौल-अटेली	9466275555	Malaram
5	Subhash Chand	BJP Narnaul Chunav Agent - N.C.-71	9416907810	[signature]
6	Sunil Kumar Yadav (Elec Agent)	68 - Ateli	9896351170	[signature]
7	Virender Singh	JJP	9416443186	[signature]
8	RK Chaudhary	AAP NNL Mukesh	98121 75489	[signature]
9	Anil Kumar	BJP Narnaul	9812148686	[signature]
10	Sagar chauhan	VLP Nangal chaudhary	9518662416	Sagar chauhan
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure – 08

प्रेषक

रिटर्निंग अधिकारी,
70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं,
उपमण्डल अधिकारी (ना0), नारनौल।

प्रेषित

1. श्री ओम प्रकाश यादव, भाजपा उम्मीदवार।
2. श्री नर सिंह, इनेलो उम्मीदवार।
3. राव नरेन्द्र सिंह, कॉंग्रेस उम्मीदवार।
4. श्री रविन्द्र सिंह मटरू, आप उम्मीदवार।
5. श्री सुरेश कुमार सैनी, जजपा उम्मीदवार।
6. श्री तेज प्रकाश, भा.श.चे. उम्मीदवार।
7. श्री विकास, राईट टू रिकॉल उम्मीदवार।
8. श्री उमाकान्त, निर्दलीय उम्मीदवार।
9. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री राजकुमार, निर्दलीय उम्मीदवार।
10. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामकुमार, निर्दलीय उम्मीदवार।
11. श्री सभाराम, निर्दलीय उम्मीदवार।
12. सभी राजनैतिक दलों के जिला प्रधान/जिला सचिव, जिला महेन्द्रगढ।

क्रमांक निर्वाचन–2024/1816–1827 दिनांक : 24-9-2024

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2024 – 70 नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ई.वी.एम. की कमिशनिंग बारे।

उपरोक्त विषय पर आपको लिखा जाता है कि विधानसभा आम चुनाव 2024 दिनांक 05.10.2024 को होने निश्चित हैं। 70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव सम्पन्न करवाने के लिये कल दिनांक 25.09.2024 को प्रातः 10:00 बजे से ई.वी.एम. की कमिशनिंग मल्टिपर्पज हॉल, राजकीय महाविद्यालय नारनौल में प्रारम्भ की जानी है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मौके पर आप स्वयं अथवा प्रतिनिधी/अभिकर्ता को भेजना सुनिश्चित करें।

रिटर्निंग अधिकारी,
70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं,
उपमण्डल अधिकारी (ना0), नारनौल।

पृ0 क्रमांक निर्वाचन–2024/ दिनांक :

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है:
1. सामान्य पर्यवेक्षक, 70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त, नारनौल ।

रिटर्निंग अधिकारी,
70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं,
उपमण्डल अधिकारी (ना0), नारनौल

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

Annexure - 9

प्रेषक

रिटर्निंग अधिकारी,
70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं,
उपमण्डल अधिकारी (ना0), नारनौल।

प्रेषित

1. श्री ओम प्रकाश यादव, भाजपा उम्मीदवार।
2. श्री नर सिंह, इनेलो उम्मीदवार।
3. राव नरेन्द्र सिंह, कॉंग्रेस उम्मीदवार।
4. श्री रविन्द्र सिंह मटरू, आप उम्मीदवार।
5. श्री सुरेश कुमार सैनी, जजपा उम्मीदवार।
6. श्री तेज प्रकाश, भा.श.चे. उम्मीदवार।
7. श्री विकास, राईट टू रिकॉल उम्मीदवार।
8. श्री उमाकान्त, निर्दलीय उम्मीदवार।
9. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री राजकुमार, निर्दलीय उम्मीदवार।
10. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामकुमार, निर्दलीय उम्मीदवार।
11. श्री सभाराम, निर्दलीय उम्मीदवार।
12. सभी राजनैतिक दलों के जिला प्रधान/जिला सचिव, जिला महेन्द्रगढ।

क्रमांक निर्वाचन–2024/1960-72 दिनांक : 27-9-2024

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2024 – 70 नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ई.वी.एम. के मॉक पोल करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपको लिखा जाता है कि विधानसभा आम चुनाव 2024 दिनांक 05.10.2024 को होने निश्चित हैं। 70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव सम्पन्न करवाने के लिये दिनांक 28.09.2024 को प्रातः 09:00 बजे से ई.वी.एम. का मॉक पोल मल्टिपर्पज हॉल, राजकीय महाविद्यालय नारनौल में करवाया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मौके पर आप स्वयं अथवा प्रतिनिधी/अभिकर्ता को भेजना सुनिश्चित करें।

रिटर्निंग अधिकारी,
70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं,
उपमण्डल अधिकारी (ना0), नारनौल

पृ0 क्रमांक निर्वाचन–2024/1973-74 दिनांक : 27-9-2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेपित है:

1. सामान्य पर्यवेक्षक, 70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त, नारनौल ।

रिटर्निंग अधिकारी,
70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं,
उपमण्डल अधिकारी (ना0), नारनौल

27/9/24

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-10

Annexure - 22

Mock Poll certification during Preparation of EVMs and VVPATs

Date: 28/9/2024

Name of State/UT: Haryana

Name of District: Mahendergarh

Name of Assembly/Parliamentary Constituency: 70- Narnaul

Name of Assembly Segment (in case of PC) : 70- Narnaul

Address of EVM-VVPAT Preparation hall: Multipurpose Hall G.C. Narnaul

It is certified that during commissioning of EVMs and VVPATs, mock poll of 1000 votes have been cast on 5% randomly selected EVMs, as well as VVPATs. The electronic result tallied with paper count, picked up by me. There are no discrepancies between the votes polled during the mock poll.

S.No.	Name of candidate	Name of representative of candidate with party affiliation, if any	Identity document No. with date	Signature of candidate/his representative	Remark, if any.
1	Krishan Yadav	INC	28/9/24	Krishan Yadav	Satisfied
2	Vijay Saini	INLD	28/9/24	Nar Singh	[illegible]
3	Anil Kumar	BJP	28/9/24	[signature]	Satisfied
4.	VIKAS	RRP	28/09/24	[signature]	Satisfied
5.	Sushil Kumar	BJP	28/9/24	[signature]	[signature]
6.	Virender Singh	JJP	28/09/24	[signature] JJP Distt. office Secty.	

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-11

रिटर्निंग अधिकारी,
70–नारनौल विधानसभा क्षेत्र एवं
उप मण्डल अधिकारी (ना0), नारनौल।

प्रेषित

1. श्री ओम प्रकाश यादव, भाजपा उम्मीदवार।
2. श्री नर सिंह, इनेलो उम्मीदवार।
3. राव नरेन्द्र सिंह, कांग्रेस उम्मीदवार।
4. श्री राजेन्द्र सिंह मदरू, आप उम्मीदवार।
5. श्री सुरेश कुमार सैनी, जजपा उम्मीदवार।
6. श्री तेज प्रकाश, भा.श.पो. उम्मीदवार।
7. श्री विकास, राईट टू रिकॉल उम्मीदवार।
8. श्री उमाकान्त, निर्दलीय उम्मीदवार।
9. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री राजकुमार, निर्दलीय उम्मीदवार।
10. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामकुमार, निर्दलीय उम्मीदवार।
11. श्री सभाराम, निर्दलीय उम्मीदवार।
12. सभी राजनैतिक दलों के जिला प्रधान/जिला सचिव, जिला महेन्द्रगढ।

क्रमांक निर्वाचन–2024/2176-87 दिनांक : 03-10-24

विषय : **विधानसभा आम चुनाव 2024 – मतदान के लिये पोलिंग पार्टियों को ई.वी.एम. तथा अन्य चुनाव सामग्री वितरित करने के लिये स्ट्रॉंग रूम खोलने और मतदान सम्पन्न होने उपरान्त ई.वी.एम. तथा अन्य चुनाव सामग्री जमा करने के पश्चात स्ट्रॉंग रूम को सील करने बारे।**

विषयधीन मामले में आपको लिखा जाता है कि विधानसभा आम चुनाव 2024 दिनांक 05.10.2024 को होने निश्चित हैं। 70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव को सम्पन्न करवाने के लिये पोलिंग पार्टियों को ई.वी.एम. व चुनाव सामग्री वितरित करने के लिये दिनांक 04.10.2024 को प्रातः 09:00 बजे ई.वी.एम. स्ट्रॉंग रूम खोला जाना है तथा दिनांक 05.10.2024 को मतदान सम्पन्न होने के पश्चात ई.वी.एम. व अन्य चुनाव सामग्री जमा करने उपरान्त स्ट्रॉंग रूम को सील किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मौके पर आप स्वयं अथवा आपका प्रतिनिधी/अभिकर्ता को उक्त वर्णित मौकों पर भेजना सुनिश्चित करें।

रिटर्निंग अधिकारी,
70–नारनौल विधानसभा क्षेत्र एवं
उप मण्डल अधिकारी (ना0), नारनौल

पृ0 क्रमांक निर्वाचन–2024/2188-89 दिनांक : 03-10-24

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है:

1. सामान्य पर्यवेक्षक, 70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त, नारनौल ।

रिटर्निंग अधिकारी,
70–नारनौल विधानसभा क्षेत्र एवं
उप मण्डल अधिकारी (ना0), नारनौल

Scanned with CamScanner

Annexure-12

प्रमाणित किया जाता है कि 70– नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदान सम्पन्न होने उपरान्त दिनांक 05.10.2024 को 10:48 PM बजे सभी पोलिंग पार्टियों द्वारा मल्टिपर्पज हॉल, राजकीय महाविद्यालय नारनौल में स्थापित ई.वी.एम. स्ट्रॉंग रूम में मतदान के दौरान प्रयोग की गई सभी ई.वी.एम./वीवीपैट को जमा किया गया तथा उक्त स्ट्रॉंग रूम को सामान्य पर्यवेक्षक व निम्नलिखित अधिकारियों तथा अभ्यर्थियों, उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बन्द किया गया और सुरक्षा हेतु लगाये गये केन्द्रीय रिर्जव पुलिस फोर्स के इन्चार्ज को लॉग बुक सौंप दिया गया।

Handed Over
DR. Oi Kar Singh
RO – 70 Narnaul

Taken Over
INSP/ DHANRAJ

1. Sheefa Garg IAS, Gen. Observer 70-Narnaul.
2. Suresh Kumar, HPS, DSP Narnaul.
3. Rakesh Kumar DRO cum ARO
4. Krishan Yadav, INC, Krishan Yadav.
5. Sushil Kumar B.J.P.
6. Virender Singh JJP
7. Vijay Kumar INLD
8. Bsey INC
9. ....
10. ....
11. ....

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-13 (Page 1/2)

Proceeding of scrutiny done on 06.10.2024 for Assembly Constituency/ Segment 70-Narnaul

Scrutiny was done by Returning Officer in presence of Observer and Candidates/ Representatives as per attached sheet. After going through Form 17A (Register of Voters), Form 17C, Presiding Officer's diary, Micro Observer's reports, Sector Officer's visit sheets for 09 No. of polling stations (i.e. 19, 58, 71, 72, 98, 116, 124, 144, 145) of Assembly Constituency / Segment 70-Narnaul it was found that ECI instructions during the election process were duly followed.

Candidates/ Representatives of candidates were satisfied with the record and the election process. It is also clear that strong room was opened and closed in the presence of Candidates/Representatives. Photocopy of the log book is attached and that is part of this proceeding. Aforesaid election record has been sealed after the scrutiny.

Candidates/representatives put their seal and signature on the sealed envelope.

Under the aforesaid situation, no repoll is required i.e. there is no situation which warrants any repoll. The following officers/ candidates/election agents were present during the scrutiny —

Sr. No.	Name of Officer/Candidate/Election Agent	Signature
1.	Krishan Yadav, INC	[signature]
2.	Vijay Sarmi INLD	[signature]
3	AK Chauhan AAP	[signature]
4.	Sabhakam indipend.	[signature]
5.	DR. Jitender Singh RO-70 Narnaul	[signature]
6.	Manjeet Kaur DY. DEO	[signature]
7.		

Scanned with CamScanner

Annexure-13
(Page 2/2)

70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान सम्पन्न होने उपरान्त मतदान में प्रयोग की गई पी.ओ. डायरी, फार्म 17 ए इत्यादि की स्क्रूटनी आज दिनांक 00.10.2024 को 11:00 बजे सामान्य पर्यवेक्षक महोदया, जिला नगरायुक्त नारनौल, उप निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश नारनौल, रिटर्निंग अधिकारी 70–नारनौल तथा उम्मीदवारों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति मल्टिपर्पज हॉल राजकीय महाविद्यालय नारनौल में की गई :

क्र0 सं0	नाम	मो0 नं0	हस्ताक्षर	पद/पार्टी का विवरण
1	Vijay Sharma	9416964620	[signature]	INC
2.	Krishan Yadav	9467999000	Krishan Yadav	INC
3	RK Chandan	9812175461	[signature]	AAP
4	Sabha Ram	9416716612	Sabharam	indipendent

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-14

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 08.10.2024 को प्रातः 7:56 बजे 70-नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मल्टीपर्पज हॉल, राजकीय महाविद्यालय नारनौल में स्थापित स्ट्रॉंग रूम जिसमें ई०वी०एम० रखी हुई है, के कमरे के दरवाजे की सील मतगणना के लिये निम्नलिखित अधिकारियों तथा अभ्यर्थियों, उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सही सलामत हालात में खोला व केन्द्रीय रिर्जव पुलिस फोर्स से लॉग बुक प्राप्त किया गया।

Handed Over	Taken Over
INSP/DHANRAJ	RO 70 NNL

08/x/24
Observer
70-Narnaul

BJP

INLD

Krishan Yadav
INC

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-15

आज दिनांक 08.10.2024 को 70–नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना की गई, जिसमें निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार 05 वीवीपैट की मतगणना करवाई जानी है। मतगणना पर्यवेक्षक व अभ्यर्थियों, उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में 05 बूथों का वीवीपैट के मतों की गणना के लिये ड्रॉ के माध्यम से चयन किया गया।

PS No. 70; 15; 71; 137 and 115

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. Krishan..............................
10. कृष्ण कुमार..............................

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-16

(13)

ANNEXURE XXXVII

(CHAPTER XIII, PARA 47-6)

Log Book of ...[illegible]... Building in which voting machines have been stored EVM/VVPAT ..[illegible]... District ...M/garh........... Constituency

Date of Entry	Time of Entry	Name & Designation of the Officer entering	Purpose of Entry	Details of other persons accompanying the officer	Signature of Officer entering	Signature of the O.I.C Police Guard	Time of Exit	Details of persons coming out with the officer	Total time spent inside room	Signature of Officer coming out	Signature of O.I.C. Police Guard	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4/7/24	6.45	H.P. Bansal DDPO			[signature]		10:05 PM			[signature]		
	7:30	Sh. Naudeep			[signature]		10:05 PM			[signature]		
11/7/24	1:30	[illegible] EVM Incharge	[illegible] EVM send to Hissar		[signature]		2.30		40 minute	[signature]	[signature]	
"	"	Shri Bhagwan Clerk	Reject EVM send		[signature]		2.30		1:40 mints	[signature]		
"	2.20	H.P. Bansal	DDPO AN		[signature]		2.30		10 minute	[signature]		
29/7/24	11 AM	H.P. Bansal	DDPO M/garh		[signature]					[signature]		
29/7/24	11 AM	Rajpal	[illegible] EVM Received from A/c		[signature]		6.50 PM			[signature]		
[illegible]/24	11:[illegible]	Majeet ku	CTM, CLC		[signature]							
01/8/24	11:20	Anup Kaushik	INC		[signature]							
01/8/24	11:20	Virender Singh	JJP		[signature]							
01/8/24	11:22	[illegible]	BJP		[signature]							
2/8/24	09:30	Shri Bhagwan	Election FLC		[signature]		18:10		2:40 minute	[signature]		
3/8/24	9:30	Shri Bhagwan	Election		[signature]		18:[illegible]		8:50 minute			

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

DISTRICT ELECTION OFFICE, NARNAUL
जिला निर्वाचन कार्यालय, नारनौल

चुनाव का पर्व DESH KA GARV

D:\Vidhan Sabha Election-2024\Letters.docx

<u>हरियाणा विधानसभा आम चुनाव–2024</u>
<u>तत्काल/अति–आवश्यक</u>

सेवा में

सभी राजनैतिक दलों के सचिव/प्रधान,
जिला महेन्द्रगढ़।

यादि क्रमांक निर्वाचन–2024/ 4170 दिनांक : 29/8/24

विषय:– General Election to Vidhan Sabha-2024, 1st Randomization of EVM-reg.

उपरोक्त विषय पर आपको अवगत करवाया जाता है कि हरियाणा विधान सभा चुनाव–2024 दिनांक 01.10.2024 को होने है। चुनावों में प्रयोग की जाने वाली ईवीएम मशीनों का प्रथम Randomization दिनांक 02.09.2024 को प्रातः 11:00 बजे कमरा नं0 118, उपायुक्त कार्यालय, प्रथम तल, लघु सचिवालय, नारनौल में उपायुक्त महोदया की अध्यक्षता में होनी है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रथम Randomization के दौरान आप निर्धारित किये गये तिथि, स्थान व समय पर पहुँचने का कष्ट करें।

यह आपको सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(signature)
उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
महेन्द्रगढ़।

पृ0क्रमांक निर्वाचन–2024/ 4171 दिनांक : 29/8/24

इसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा चण्डीगढ़ को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(signature)
उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
महेन्द्रगढ़।

1. B.S.P अशोक कटारिया 9588341010
2. Party INLD 9416575541 OC
3. I.N.C आई राम सिंह 9416237847
4. A.A.P. अनिल सिंह [illegible] 9928400001
5. BJP ———— 935040167
6. JJP Virender Singh 9416443186

Office Mini Secretariat, Narnaul Tel 01282-256220, Fax 01282-256220
E-Mail: elt_mah@yahoo.in Web site: www.ceoharyana.nic.in

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure -18

DISTRICT ELECTION OFFICE, NARNAUL
जिला निर्वाचन कार्यालय, नारनौल

D:\Vidhan Sabha Election-2024\Letters.docx

<u>हरियाणा विधानसभा आम चुनाव–2024</u>
<u>तत्काल/अति–आवश्यक</u>

सेवा में

सभी राजनैतिक दलों के सचिव/प्रधान,
जिला महेन्द्रगढ़।

यादि क्रमांक निर्वाचन–2024/५२२२ दिनांक : 09/9/24

विषय:– General Election to Haryana Vidhan Sabha-2024, 1st Randomization of EVM-reg.

उपरोक्त विषय पर जैसा की आपको विदित है कि हरियाणा विधान सभा चुनाव–2024 दिनांक 05.10.2024 को होने है। जिसके सम्बन्ध में प्रथम Randomization दिनांक 02.09.2024 को प्रातः 11:00 बजे कमरा नं0 118, उपायुक्त कार्यालय, प्रथम तल, लघु सचिवालय, नारनौल में उपायुक्त महोदया की अध्यक्षता में होना है। मशीनों की प्रथम Randomization के उपरान्त ईवीएम मशीनों के Segregation के लिए ईवीएम वेयरहाउस जोकि लघु सचिवालय, नारनौल के परिसर में स्थित है को आपकी उपस्थिति में खोला जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्य हेतु आप निर्धारित स्थान पर पहुँचने का कष्ट करें।

BJP
Congress
Vijay Saini INLD
Virender Singh JJP

उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
महेन्द्रगढ़।

Office: Mini Secretariat, Old Building, Narnaul.
E.Mail: eli_mahi@yahoo.in
Tel. 01282-256220, Fax 01282-256220
Web site: www.ceoharyana.nic.in

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

Annexure-19

आज दिनांक 25.09.2024 को समय ...3:10 P.M. बजे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों/ उम्मीदवारों/चुनाव अभिकर्ताओं की उपस्थिति में 70-नारनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ई०वी०एम० स्ट्रांग रूम, मल्टीपर्पज हॉल, राजकीय महाविद्यालय नारनौल को ई.वी.एम. की कमिशनिंग के उपरान्त सील कर दिया गया।

Sr. No.	Name	Mob. No.	Concerned Party	Signature
1	Sachin Ram? [illegible]	9358401677?	BJP	[signature]
2	Balvinder	9466021977?	INC	[signature]
3	Vijay Saini?	9416964670	INLD	[signature]
4	R.K. Chowdhary?	9812175411?	AAP	[signature]

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner